I/158163/2023

रागी (मंडुवा) खरीद नीति 2023–24

संख्या 618 /23–XIX-2/ 36 खाद्य/2022

प्रेषक,

रूचि मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **आयुक्त,**
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– **महाप्रबन्धक,**
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

4– **सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,**
गढवाल सम्भाग, देहरादून/
कुमाऊँ सम्भाग, हल्द्वानी।

5– **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, ना0आ0 एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 30 सितम्बर, 2023

विषयः खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रागी (मंडुवा) की खरीद नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 835/आ0वि0शा0/रागी (मंडुवा)/2023–24 दिनांक 14.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रागी (मंडुवा) खरीद नीति 2023–24 जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कृपया विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के तहत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रागी (मंडुवा) की खरीद किये जाने हेतु निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः–

1. **रागी (मंडुवा) का मूल्य**

भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 के लिए अच्छे औसत किस्म के रागी (मंडुवा) का न्यूनतम समर्थन मूल्य पत्र संख्या–6–1/2022FES-ES दिनांक 19.06.2023 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल रू0
रागी (मंडुवा)	3846.00

2. **रागी (मंडुवा) की गुण विनिर्दिष्टयाँ**

क्रय संस्थाओं हेतु भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 हेतु निर्धारित गुण विनिर्दिष्टियों shelf life के अनुसार ही रागी का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

I/158163/2023

3. <u>क्रय एजेन्सियों का चयन एवं खरीद का लक्ष्य</u>

(क) भारत सरकार के पत्र संख्या–7(16)2022.नीति–III (342440) दिनांक 29.12.2022 एवं दिनांक 30.12.2022 के आधार पर राज्य में रागी (मंडुवा) खरीद हेतु खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को क्रय संस्था नामित किया जाता है। उत्तराखण्ड सहकारी संघ लि0 क्रय संस्था के रूप में, राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का रागी (मंडुवा) क्रय सुनिश्चित करेगी।

(ख) उत्तराखण्ड सहकारी संघ लि0 जनपदों में स्वयं क्रय केन्द्र संचालित करेगी तथा स्वयं सहायता समूहों, MPAC के माध्यम से भी क्रय केन्द्र संचालित कराकर रागी (मंडुवा) की खरीद करेगी।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां स्वयं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रागी (मंडुवा) की उत्पादकता अधिक रहने की सम्भावना होगी वहाँ पर निर्धारित किये गये एक से अधिक केन्द्र भी स्थापित किये जा सकेंगे।

चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में रागी (मंडुवा) उत्पादक छोटे कृषक हैं अतः ग्राम स्तर पर क्रय संस्था द्वारा स्वयं तथा स्वयं सहायता समूहों की सहायता से भी रागी (मंडुवा) का क्रय किया जायेगा, जो कि उत्तराखण्ड सहाकरी संघ लि0 के अधीन कार्य करेंगे।

खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय संस्था के रूप में रागी (मंडुवा) का क्रय करने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का संचालन किया जायेगा :–

क्र0 सं0	क्रय ऐजेन्सी का नाम	स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की संख्या		लक्ष्य (मी0 टन में)	
		गढवाल सम्भाग	कुमायूँ सम्भाग	गढवाल सम्भाग	कुमायूँ सम्भाग
1.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	48	65	8150	1850
महायोगः–		**113**		**10,000**	

नोट– क्रय केन्द्रों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(घ) खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में क्रय संस्था द्वारा स्वयं संचालित एवं MPACs एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत कृषकों से ही रागी (मंडुवा) का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य के प्रत्येक कृषक का ऑनलाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में बिना पंजीकरण कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन पंजीकरण किये जाने हेतु कृषक से उसके आधार कार्ड, कृषक आई0डी0 (मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/पैनकार्ड/आयुष्मान कार्ड/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र में से कोई एक), खतौनी, खसरा व बैंक पासबुक सम्बन्धी अभिलेख/जानकारी प्राप्त की जायेगी।

(ड़) खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रागी (मंडुवा) क्रय की अवधि दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक मान्य रहेगी।

4. <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u>

उत्तराखण्ड में खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में रागी (मंडुवा) खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीन एक ''जिला खरीद अधिकारी'' नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसका रागी (मंडुवा) खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

5. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना</u>

जनपदों में रागी (मंडुवा) के उत्पादन एवं विपणन योग्य अतिरिक्त (Marketable Surplus) की स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में रागी (मंडुवा) की आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुये ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण कराया जायेगा। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्था यह सुनिश्चित करेंगी कि रागी (मंडुवा) खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। क्रय केन्द्र खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र संचालित न किए जाएं तथा ऐसी स्थिति भी उत्पन्न न होने पाये कि किसानों को अपने क्षेत्र से बहुत दूर रागी (मंडुवा) विक्रय हेतु ले जाना पड़े, क्योंकि इससे 'डिस्ट्रेस सेल' के अवसर उपलब्ध होंगे।

6. <u>क्रय एजेंसियों को बोरा उपलब्ध कराना</u>

(1) क्रय संस्था द्वारा की जाने वाली रागी (मंडुवा) की खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 द्वारा क्रय किये गये रागी (मंडुवा) को स्टेटपूल में सम्प्रदान हेतु बोरों की आपूर्ति सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित माँग पर आवश्यकता के अनुसार की जायेगी तथा अनुवर्ती माँग पर बोरे तभी दिये जायेंगे जब पूर्व में उपलब्ध कराये गये बोरों के सापेक्ष रागी (मंडुवा) की मात्रा का सम्प्रदान क्रय एजेंसी द्वारा विभाग को कर दिया गया हो अथवा उसके मूल्य का समायोजन क्रय संस्था के देयकों से करा लिया गया हो। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धता के आधार पर आवंटित बोरों के उठान एवं क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

(3) खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गए रागी (मंडुवा) जिसका सम्प्रदान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को स्टेटपूल योजना में किया जाना है, के सन्दर्भ में, रागी (मंडुवा) प्राप्ति के समय यदि बोरे अधोमानक पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रय संस्थाओं के देयकों से नियमानुसार कटौती करने के पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. <u>क्रय केन्द्रों पर सुविधाएं</u>

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तद्नुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख–सुविधा के

निमित्त आवश्यक व्यवस्थायें यथा प्रदर्शनार्थ सूचना पट, बैनर, किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर मैन, तखत, दरी एवं छाया के लिए शैड/शामियाना, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, रागी (मंडुवा) की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट, सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन आदि सुनिश्चित करायी जाएंगी।

(2) यदि क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख–सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की यह व्यवस्था क्रय एजेन्सी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से किया जायेगा।

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किए जाएंगे।

8. रागी (मंडुवा) खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान

(1) समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा स्वयं के संसाधनों से रागी (मंडुवा) का क्रय किया जायेगा। यदि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0(यू0सी0एफ0) द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 के लिए बैंको से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर धनराशि प्राप्त की जाती है तो इसके लिए क्रय संस्थाओं को भारत सरकार से खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 हेतु जारी अनन्तिम आनुषांगिक दरों में निर्धारित अवधि/ब्याज दरों के अनुसार ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस हेतु क्रय संस्था को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(2) क्रय संस्थाओं द्वारा किसानों से क्रय किए गये रागी (मंडुवा) की डिलीवरी स्टेट पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहे।

(3) क्रय संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से कृषकों से क्रय किये गये रागी (मंडुवा) के मूल्य का भुगतान विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर पी0एफ0एम0एस0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ताकि भुगतान में किसी प्रकार के विलम्ब से कृषकों में असंतोष उत्पन्न न हो। रागी (मंडुवा) की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तद्नुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप रागी (मंडुवा) खरीद करके, सम्बन्धित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये रागी (मंडुवा) के मूल्य का भुगतान उसी किसान के नाम पी0एफ0एम0एस0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा जिस नाम से कृषक पंजीकृत है।

(4) खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में प्राप्त रागी (मंडुवा) की खाद्यान्न सब्सिडी प्राप्त करने, फ्लो ऑफ फण्ड्स बनाये रखने तथा सम्भाग स्तर से निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्भागीय वित्त अधिकारी (खाद्य) तथा वित्त नियंत्रक (खाद्य) का होगा।

9. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये रागी (मंडुवा) की वाहनों से उतराई, बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं क्रय केन्द्र से संग्रहण डिपो हेतु ट्रकों में लोडिंग आदि कार्य सम्बन्धित क्रय संस्था द्वारा नियुक्त विभागीय हैण्डलिंग ठेकेदारों से कराया जायेगा।

(2) हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 हेतु भारत

सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या–670/21–XIX–2/18 खाद्य/2010 दिनाँक 19.08.2021 द्वारा निर्धारित मदवार हैन्डलिंग दरों के आधार पर भारत सरकार की अनन्तिम प्रोविजन कॉस्टशीट (PCS) में अनुमन्य दरों के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

10. <u>क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये रागी (मंडुवा) के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तिः–</u>

खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रागी (मंडुवा) की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा परिवहन दरों हेतु स्लैबवार SOR का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर सम्भाग स्तर पर ई–निविदा के माध्यम से परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये हैं। खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत रागी (मंडुवा) का परिवहन स्लैबवार एस0ओ0आर0 अथवा एस0ओ0आर0 के आधार पर द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा। (मंडुवा) के संचरण में किसी प्रकार की क्षति होती है तो परिवहन ठेकेदार से कुल क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर प्रतिपूर्ति उसके द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयकों से सुनिश्चित की जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा।

11. <u>क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाट का सत्यापन</u>

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बाट तथा माप का सत्यापन समय–समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। सम्बन्धित विधिक माप निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि रागी (मंडुवा) क्रय योजना 2023–24 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर लिया गया है। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बाटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बाट के रूप में तौल हेतु न किया जाए। क्रय संस्थाओं द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायतें न होने पाएं।

12. <u>क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया</u>

खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में यदि क्रय केन्द्र पर क्रय की गयी रागी (मंडुवा) की मात्रा के अस्थायी संग्रहण हेतु क्रय एजेंसी द्वारा भूमि/अस्थायी गोदाम किराये पर लेने पड़ते हैं तो क्रय संस्था को किराया भुगतान खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अनन्तिम आनुषांगिक दरों के आधार पर निर्धारित मद में खाद्य विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु क्रय संस्थओं को पुश्टि स्वरूप वांछित अभिलेख तथा कितनी अवधि के लिये क्रय रागी (मंडुवा) संग्रहित किया गया है, से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। भूमि का किराया, एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्गमी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराए की दर अधिकतम होगी।

13. <u>रागी (मंडुवा) क्रय की अवधि एवं क्रय केन्द्र पर रागी (मंडुवा) क्रय हेतु समय</u>

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रागी (मंडुवा) क्रय का कार्य दिनाँक 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक होगा। आवश्यकतानुसार अवधि भारत

सरकार की पूर्व अनुमति में बढ़ायी जा सकेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय अपने विवेक से ले सकेंगे। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 09:00 बजे से सांयः 05:00 बजे तक खुले रहेंगे।

कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोडकर शेष कार्य दिवसों में रागी (मंडुवा) क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोडकर अन्य अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवाने का निर्णय ले सकेंगे।

14. <u>स्टेटपूल में भण्डारण, गुणवत्ता एवम् स्टॉक की सुरक्षा व्यवस्था</u>

1. विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल में 0.162 लाख मी0टन रागी (मंडुवा) भण्डारित किया जाना है। इस हेतु एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0/विभागीय गोदामों पर भण्डारण क्षमता, आयुक्त, खाद्य द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग रागी (मंडुवा) भण्डारण हेतु भी किया जा सकेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा रागी (मंडुवा) खरीद हेतु यदि अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होती है तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
2. स्टेटपूल योजना में क्रय रागी (मंडुवा) की मात्रा का भण्डारण खाद्य विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम (एस0डब्ल्यू0सी0) एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी0डब्ल्यू0सी0) के गोदामों में आरक्षित कराई गई क्षमता में तथा अपने वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में किया जायेगा। रागी (मंडुवा) के भण्डारण उपरान्त रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता एवं स्टाक की सुरक्षा के लिए संग्रहण ऐजेन्सी क्रमशः एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।
3. क्रय संस्था द्वारा पर्वतीय जनपदों में जो भी रागी (मंडुवा) क्रय किया जायेगा उसे क्रय उपरान्त उसी जनपद में क्रय केन्द्र के निकटतम गोदाम पर संग्रहण कराया जायेगा ताकि परिवहन मद में अतिरिक्त व्यय वहन न करना पड़े। गोदाम पर रागी (मंडुवा) की मासिक आवश्यकता के आधार पर/आवश्यकता से अधिक रागी (मंडुवा) की मात्रा अन्य निकटतम गोदामों में संचरण करायी जाएगी।
4. प्रदेश में रागी (मंडुवा) खरीद की दृष्टि से मैदानी जनपद डेफीसिट हैं। अतः डेफीसिट जनपदों में रागी (मंडुवा) की आवश्यकता की पूर्ति पर्वतीय जनपदों में क्रय मात्रा से की जायेगी, जिसका संचरण प्लान दोनों सम्भागों के सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा आवश्यकतानुसार आपसी विचार विमर्श कर क्रय संस्था को दिया जायेगा, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मूवमेन्ट प्लान में सड़क मार्ग से रागी (मंडुवा) का प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि खाद्यान्न पहुंचने में कम समय लगे तथा क्रय किया गया रागी (मंडुवा) उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध हो सके, साथ ही परिवहन व्यय में भी मितव्ययता सुनिश्चित हो सके।
5. प्रदेश में स्थित एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 के प्रत्येक गोदाम में जहाँ रागी (मंडुवा) का भण्डारण स्टेटपूल में किया जायेगा, वहाँ खाद्य विभाग का स्टाफ तैनात रहेगा, जो रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच संग्रहण एजेन्सी के साथ संयुक्त रूप से करने के उपरान्त रागी (मंडुवा) का स्टॉक प्राप्त करेगा। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0के गोदाम भण्डारण हेतु संचालित नहीं होंगे तथा अन्य स्थलों पर मूवमेंट संभव नहीं हो सकेगा, ऐसी परिस्थिति में

रागी (मंडुवा) खरीद प्रभावित न होने पाए, के दृष्टिगत सम्भागीय खाद्य नियंत्रक रागी (मंडुवा) भण्डारण हेतु खाद्य विभाग के गोदामों का प्रयोग कर सकेंगे एवं इसकी सूचना खाद्यायुक्त को देंगे। इस प्रकार भण्डारित रागी (मंडुवा) के संबंध में उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा आदि का पूर्ण दायित्व संबन्धित क्रय संस्था का होगा। भण्डारित रागी की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गठित टीमों के माध्यम से समय–समय पर किया जायेगा।

15. <u>स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये रागी (मंडुवा) की संचरण व्यवस्था</u> :–

1. राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों तथा जनपद देहरादून/नैनीताल के पर्वतीय जनपदों में रागी (मंडुवाँ) की खरीद सुनिश्चित की जायेगी जिससे राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पूर्ति सुनिष्चित की जायेगी। इस हेतु रागी (मंडुवा) की केन्द्रवार/डिपोवार आवश्यकता को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग तथा जिला पूर्ति अधिकारियों से मांग प्राप्त कर राज्य सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर क्रय संस्था द्वारा सम्बन्धित डिपो हेतु क्रय केन्द्र से संचरण प्रोग्राम जारी किया जायेगा।

2. खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रागी (मंडुवा) खरीद व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को अपने–अपने जनपदों में रागी (मंडुवा) खरीद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।

16. <u>क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव</u> :–

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगेः–

1. कृषक पंजीकरण पंजिका।
2. क्रय तक पट्टी/रसीद।
3. बिल बुक।
4. बोरा पंजिका।
5. दैनिक क्रय पंजिका।
6. स्टॉक पंजिका।
7. रिजेक्शन पंजिका।
8. निरीक्षण पंजिका।
9. टी0सी0/डी0सी0 बुक/चालान।
10. शासनादेश की पत्रावली
11. शिकायत पंजिका।
12. दैनिक मण्डी आवक पत्रावली।
13. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली।
14. बैंक लेखा/चैक बुक/निर्गत चैक/पी0पी0ए0 की विवरण पंजिका।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा उच्चाधिकारियों को रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका क्रय केन्द्र पर मांगे जाने पर प्रभारियों द्वारा अवलोकित करायी जायेगी तथा निरीक्षण उपरान्त उक्त पंजिका में माननीय जनप्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा अपनी आख्या अंकित की जायेगी।

17. <u>खरीद प्रक्रिया</u>

(1) राज्य के लोक सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग, कृषि विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 के अर्न्तगत रागी (मंडुवा) क्रय नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना रागी (मंडुवा) साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लायें, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके।

यदि कृषकों द्वारा साफ–सुथरा रागी (मंडुवा) विक्रय हेतु नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व क्रय केन्द्र पर अनिवार्यतः साफ कराकर ही रागी (मंडुवा) क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार रागी (मंडुवा) की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर व्यवस्था की

जायेगी।

(2) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों का ही रागी (मंडुवाँ) क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टियों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के रागी (मंडुवाँ) का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों हेतु प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में ''**प्रतिनिधि नमूना**'' लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेंसी की होगी। स्टेट पूल डिपो पर सम्प्रदान के समय रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए सम्बन्धित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेन्सी उत्तरदायी होंगे।

(3) रागी (मंडुवा)की बोरों में भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रहेगी :–

(क) बोरों में 50 कि0ग्रा0 रागी (मंडुवा)की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी ।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 12 टाँकों से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, क्रय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/क्रय एजेन्सी/क्रय केन्द्र का कोड़ नम्बर अंकित होगा।

(अ)	**क्रय एजेन्सी का नाम**	**कोड नम्बर**
1.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	01

(ब)	**जनपद का नाम**	**कोड नम्बर**
1.	चमोली	
2.	देहरादून (पर्वतीय)	
3.	पौडी गढ़वाल।	
4.	रूद्रप्रयाग	
5.	टिहरी गढ़वाल।	
6.	उत्तरकाशी	
7.	अल्मोड़ा	
8.	बगेश्वर	
9.	नैनीताल (पर्वतीय)	
10.	पिथौरागढ़	

(4) यदि क्रय केन्द्र पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुसार किसान का विक्रय हेतु लाया गयारागी (मंडुवा) अस्वीकृत किया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा इसका अंकन रिजेक्शन पंजिका में किया जायेगा जिसमें कृषक का नाम, उसका पूर्ण पता, लाये गये रागी (मंडुवा) की मात्रा, अस्वीकृत किये गये रागी (मंडुवा) की मात्रा अथवा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा तथा इसकी सूचना कृषक को भी अनिवार्यतः दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर माँग किये जाने पर सम्बन्धित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(5) क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता/अवधि (Self Life) एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसियों का होगा। इस हेतु सभी वाँछित उपाय क्रय एजेंसी सुनिश्चित करेगीं। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय संस्थाओं को अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों से की जायेगी।

18. <u>सम्प्रदान के समय रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद का निराकरण</u>

(1) स्टेट पूल में रागी (मंडुवा) की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी क`प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गठित की जायेगी। इस समिति के लिए क्रय ऐजेंसी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे। वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक, मण्डी निरीक्षक, सम्बन्धित संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी गठित समिति के सदस्य होंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(क) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक।
(ख) सम्भागीय विपणन अधिकारी।
(ग) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक।
(घ) सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी।

19. <u>संग्रह एजेंसी द्वारा अस्वीकृत रागी (मंडुवा) का निस्तारण</u>

क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किया गया रागी (मंडुवा) यदि स्टेटपूल गोदामों पर मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे क्रय संस्था द्वारा बाजार में बेचकर निस्तारित कराया जायेगा जिसके लिये अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस मद में होने वाले किसी व्ययभार की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जायेगी। ऐसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

20. <u>कठिनाईयों का निराकरण</u>

रागी (मंडुवा) खरीद से सम्बन्धित जारी किये गये इस शासनादेश के क्रियान्वयन में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिये आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

21. <u>पुरस्कार, मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था</u>

रागी (मंडुवा) खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देने पर क्रय केन्द्रों पर तैनात स्टाफ/धान कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रागी (मंडुवा) क्रय में किसी अधिकारी/कर्मचारी की किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा।

22. <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना</u>

1. राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2022 से प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य शील है। इसी प्रकार सम्भाग स्तर पर तथा जनपद स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित रागी (मंडुवा) खरीद से सम्बन्धित सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को दूरभाष/फैक्स संख्या–0135–2780778 तथा ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

2. क्रय ऐजेंन्सियों द्वारा दैनिक रागी (मंडुवा) खरीद के आंकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल ऑफिसर द्वारा नियमित रूप से क्रय संस्था द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक रागी (मंडुवा) खरीद के आंकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियंत्रण कक्ष, खाद्यायुक्त कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

23. <u>रागी (मंडुवा) क्रय का अनुश्रवण</u>

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा भी क्रय एजेंसी के साथ प्रत्येक सप्ताह अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर रागी (मंडुवा) खरीद की समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए खाद्यायुक्त को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा बोरों की व्यवस्था, क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर की गयी रागी (मंडुवा) खरीद तथा स्टेटपूल डिपो को इसके सम्प्रदान आदि की नियमित समीक्षा की जायेगी। केन्द्रीय पूल में सम्पद्रान होने की स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय एजेंसी के अधिकारी नियमित रूप से बैठक करेंगे और रागी (मंडुवा) खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा खाद्यायुक्त कार्यालय को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) मुख्यालय स्तर पर मुख्य विपणन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से रागी (मंडुवा) खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन/खाद्यायुक्त को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(4) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 एवं अन्य नामित क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर रागी (मंडुवा) खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 तथा सम्बन्धित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (रागी (मंडुवा) खरीद योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेंगे।

24– <u>रागी (मंडुवा) क्रय–केन्द्रों का निरीक्षण</u> :–

(1) खाद्य विभाग तथा क्रय संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक रागी (मंडुवा) खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं तथा किसानों का रागी (मंडुवा) नियमानुसार खरीदा जा रहा है अथवा नहीं।

(2) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा भी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी अपने जनपदों/क्षेत्रो में क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह देखेंगे कि रागी (मंडुवा) खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

खाद्यायुक्त स्तर पर एक सचल दस्ता गठित किया जायेगा जिसमें सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक सम्मिलित होंगे। सचल दस्ता द्वारा रागी (मंडुवा) क्रय केन्द्रों तथा स्टेटपूल डिपो पर रागी (मंडुवा) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी सूचना खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

स्थापित क्रय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार द्वारा रागी (मंडुवा) खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार रागी (मंडुवा) खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रक्रिया में बिचौलिये तो कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार खरीफ–खरीद सत्र 2023–24 में मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत रागी (मंडुवा) खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भवदीया,
Signed by Ruchi Mohan Rayal
Date: 30-09-2023 16:39:28
(रूचि मोहन रयाल),
अपर सचिव।

<u>संख्याः– 618 (i)/23–XIX-2/ 36 खाद्य/2022 टीसी तद्दिनांतकित</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2– अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

I/158163/2023

7— मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
8— महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9— क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड, द्वारा खाद्यायुक्त।
10— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
11— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12— नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।
13— सम्भागीय विपणन अधिकारी, कुमाऊँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, नैनीताल/देहरादून।
14— वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड ।
15— उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हल्द्वानी/देहरादून/ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
16— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाऊँ सम्भाग ।
17— एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

Sd/-
(रूचि मोहन रयाल),
अपर सचिव।